उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

प्रारूप - 1

निःशुल्क विधिक सेवा के लिए आवेदन का प्रारूप

1. नाम .....

2. स्थायी पता .....

.....

.....

3. पत्र व्यवहार का पता .....

.....

.....

4. टेलीफोन सं., ई-मेल आईडी, यदि कोई हो .....

5. क्या आवेदक रा.वि.से.प्रा. उत्तराखण्ड के नियम-16 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आता है (कृपया श्रेणी अंकित करें, जैसे 60 साल से अधिक नागरिक या अनुसूचित जाति आदि। श्रेणी हेतु पृष्ठ भाग को देखें)। .....

.....

.....

6. आवेदक की मासिक आय .....

7. क्या आय/अर्हता के समर्थन में शपथ पत्र/सबूत प्रस्तुत किया गया है।

8. विधिक सहायता की प्रकृति या सलाह अपेक्षित है

(1) नया मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं हाँ/नहीं

(2) लम्बित मुकदमे में कानूनी सहायता/वकील चाहते हैं हाँ/नहीं

(3) विधिक सलाह चाहते हैं (विवरण लिखें)

9. मामले का संक्षिप्त विवरण, यदि न्यायालय आधारित विधिक सेवाएं अपेक्षित हैं।
(मामले का विवरण अलग से लिखकर भी संलग्न कर सकते हैं।)

स्थान : .....

तारीख : .....

आवेदक के हस्ताक्षर

उत्तराखण्ड में निःशुल्क कानूनी सहायता

- उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित मामलों में अधिकारों की रक्षा हेतु या मामला दायर करने हेतु पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सलाह के अतिरिक्त सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता भी उपलब्ध कराया जाता है, अर्थात् अधिवक्ता की फीस भी प्राधिकरण द्वारा अदा की जाती है। साथ ही न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) एवं वाद का खर्चा भी वहन किया जाता है।
- उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता एवं सलाह सक्षम अधिवक्ताओं के माध्यम से दिलवाई जाती है।
- निःशुल्क विधिक सहायता के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र है :-

क अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक।
अथवा ख संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति।
अथवा ग सभी महिलाएं एवं बच्चे।
अथवा घ सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति।
अथवा ड़ बहुविनाश जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एवं भूकम्प एवं औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति।
अथवा च औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर।
अथवा छ जेल/कारागार/सरंक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति।
अथवा ज भूतपूर्व सैनिक।
अथवा झ हिजड़ा समुदाय।
अथवा ञ वरिष्ठ नागरिक।
अथवा ट उपरोक्त के अलावा ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय अधिकतम रु. 1,00,000/- या रु. 1,00,000/- से कम हो।

नोट क्रम संख्या क से ञ में वर्णित व्यक्तियों के लिए वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए क्या करें और कहाँ सम्पर्क करें :-

- उपरोक्त पात्रता रखने वाले व्यक्ति कानूनी सलाह एवं सहायता प्राप्त करने हेतु पृष्ठ भाग में मुद्रित प्रारूप के अनुरूप आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन उच्च न्यायालय में लम्बित वाद हेतु सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल को प्रेषित किया जा सकता है तथा जिला न्यायालय में लम्बित वाद हेतु सम्बन्धित जिले के जिला जज/अध्यक्ष या सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किया जा सकता है। यह प्रारूप इन कार्यालयों में निःशुल्क भी उपलब्ध है। इस प्रारूप को टाईप करवाकर या स्पष्ट हस्तलेख में अपना पूर्ण विवरण लिखकर विधिक सहायता हेतु आवेदन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
- निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार होने का सबूत ?

1. पात्रता के सबूत के रूप में आवेदक इस सम्बन्ध में दस्तावेज, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि, संलग्न कर सकता है अन्यथा आवेदक निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार व्यक्ति के अधीन अपनी आमदनी के संदर्भ में सबूत के रूप में एक सादे कागज पर शपथपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. शपथ पत्र को, यथास्थिति, ग्राम प्रधान, केन्द्रीय सरकार, राज्य या स्थानीय निकायों के किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय के अध्यापक, स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि, अधिवक्ता, नोटरी पब्लिक, विधान सभा सदस्य, संसद सदस्य, राजपत्रिक अधिकारी, मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश में से किसी एक के समक्ष हस्ताक्षर किया जा सकेगा और उस पर अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति की मुहर होगी।

(उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित)

दूरभाष : 05942-236762, टेलीफैक्स : 05942-236552, टोल फ्री नं0 : 1800 180 4072 (निःशुल्क)

प्रदीप पन्त (एच.जे.एस.)
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

न्यायमूर्ति वी.के. बिष्ट
कार्यपालक अध्यक्ष
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

मुद्रक : प्रकाश पब्लिकेशन, धार बिठोरिया, हल्द्वानी। मो. : 9412092336, 9690554513